

मुकदमों का विवरण

धनराज एन. आसवानी

वी.

अमरजीत सिंह मोहिंदर सिंह आधार और अन्य (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2093)

25 जुलाई, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: चाहे एस के प्रावधान हों। 81(5(ख) महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 का यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यह समिति के किसी अंशधारक, जैसे कि अपीलार्थी, जो एक पूर्व निदेशक भी था, को स्वतंत्र रूप से आपराधिक कानून को लागू करने से रोकता है।

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 - धारा 81 (5 बी) - उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि 1960 के अधिनियम के प्रावधान विशेष हैं, इसलिए धारा 8 के प्रावधान 81(5 बी) किसी व्यक्ति के कहने पर एक एफ. आई. आर. के पंजीकरण को रोक देगा, जैसे कि अपीलार्थी, जो सहकारी समिति का एक शेयरधारक है -

आयोजित किया गया: 1960 के अधिनियम की धारा 81 लेखा परीक्षक और पंजीयक को सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण करने का सार्वजनिक कर्तव्य देती है - लेखा परीक्षक और पंजीयक पर एक वैधानिक दायित्व डाला जाता है क्योंकि वे एक सहकारी समिति में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं - अधिनियम की धारा 81 (5 बी) लेखा परीक्षक या पंजीयक पर एक प्राथमिकी दर्ज करने का सकारात्मक दायित्व डालती है - धारा 81 (5 बी) लेखा परीक्षक और पंजीयक से अपने सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन में जवाबदेही और सतर्कता की मांग करती है - यह लेखा परीक्षक या पंजीयक के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्राथमिकी दर्ज करने से प्रतिबंधित करने के लिए किसी भी नकारात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है - इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना वैधानिक निर्माण के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत होगा कि 81(5 ख) लेखा परीक्षक या पंजीयक के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्राथमिकी दर्ज करने से रोकता है। [पैरा 20 और 24]

297 298 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 - धारा 81 (5 बी) - अपीलार्थी - शेयर धारक द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफ. आई. आर. दंडनीय यू/एस. एस. 420, 406, 409, 465, 467, 468 और 471 आर/डब्ल्यू।आई. पी. सी. की धारा 34-एस. पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई एफ. आई. आर. 81(5 बी) 1960 के अधिनियम की-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एस। 81(5 ख) एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने और पंजीयक की अनुमति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं - इसमें कहा गया है कि इन प्रावधानों को अनुचित माना जाएगा यदि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सामान्य प्रावधान लागू होते हैं - तत्काल परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफ. आई. आर. को रद्द करने में गलती की है - धारा 81 (5 बी) की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि कोई अन्य व्यक्ति जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय अनियमितता के बारे में पता चलता है, उसे पुलिस को अनियमितता की सूचना देने से वंचित किया जाता है - यह सही है कि एफ. आई. आर. सहकारी समिति के संबंध में किए गए लेखा परीक्षा के लिए विज्ञापित की गई है - 81 जो पंजीयक/लेखा परीक्षक पर पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कर्तव्य डालता है - उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और आदेश खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 7, 26 और 29]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एस. सी. सी. 1: [2013] 14 एससीआर 713; ए. आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक (1984) 2 एससीसी 500: [1984] 2

एस. सी. आर. 914-अनुसरण किया गया। जमीरुद्दीन अंसारी बनाम सीबीआई (2009) 6 एससीसी 316:[2009] 7 एस. सी. आर. 759; जीवन कुमार राउत बनाम सी. बी. आई. (2009) 7 एस. सी. सी. 526:[2009] 10 एस. सी. आर. 272; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335:[1990] 3 पूरक। एससीआर 259-प्रतिष्ठित।

पंजाब राज्य बनाम सुखबीर सिंह (1994) 3 एस. सी. सी. 299:[1994] 2 एससीआर

208; प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन (1994) 3 एससीसी 440:[1994] 1 एससीआर 445; मिर्जा इकबाल हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1982) 3

एससीसी 516; टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य (2001) 6 एससीसी 181:[2001] 3 एससीआर

942; शीओनानंदन पासवान बनाम बिहार राज्य (1987) 1 एस. सी. सी. 288:[1987] 1

एस. सी. आर. 702; रतनलाल बनाम प्रह्लाद जाट (2017) 9 एस. सी. सी. 340:[2017] 8 एससीआर 682; 299

धनराज एन. आसवानी बनाम अमरजीतसिंह मोहिंदरसिंह बेसी और अन्य 300

रंगकू दत्ता बनाम असम राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 358:[2011] 8 एस. सी. आर. 239;

भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण (2001) 8 एस. सी. सी. 470:[2001] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 619-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 2093।

2019 की रिट याचिका संख्या 4134 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 16.11.2021 से। सह

2022 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 2246।

रूप:

वी. गिरि, दीपक नारगोलकर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रशांत श्रीकांत केंजाले, नरेश शामनानी, मीनल चंदानी, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत बागला, सौरव सिंह, श्रेया सक्सेना, सुश्री यामिनी सिंह, श्रीरंग वर्मा, शांतनु फांसे, सुधन्वा बेडेकर, गौरव सिंह, सौमिक घोषाल, सुनील फर्नांडीस, सुश्री नूपुर कुमार, दिव्यांश तिवारी, सुश्री मुस्कान नागपाल, अमोल निर्मल कुमार सूर्यवंशी, अभिषेक भारती, सुश्री आरती महतो, बालाजी श्रीनिवासन, प्रवर्तक पाठक, सुश्री अंकिता चौधरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. यह अपील बॉम्बे में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 16 नवंबर 2021 के एक फैसले से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा उसने पुलिस स्टेशन पिंपरी, चिंचवाड़ में भारतीय दंड संहिता 1 की धारा 34 के साथ पठित धारा 420, 406, 409, 465, 467, 468 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी द्वारा दर्ज 2019 की प्राथमिकी संख्या 806 को रद्द कर दिया है।

1 "आई. पी. सी "

[2023] 11 एस सी आर।

3. प्रथम प्रतिवादी सेवा विकास सहकारी बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी था, जो महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 1960 2 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत था। दूसरा प्रतिवादी बैंक का पूर्व अध्यक्ष है। व्यक्तियों, सदस्यों, शेयरधारकों और बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के कृत्यों का आरोप लगाते हुए कई शिकायतें दर्ज की गईं। शिकायतों के आधार पर, आर्थिक बंद शाखा 3 ने पिंपरी-चिंचवाड़ में एक प्राथमिकी दर्ज की और जनवरी 2019 में और उसके बाद जांच की। आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बैंक के कहने पर 2019 की एफ. आई. आर. संख्या 235 और 241 दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू ने 16 फरवरी 2019 को जिला उप-पंजीयक, सहकारी समितियों, पुणे को एक पत्र जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फॉरेंसिक ऑडिट, क्रेडिट नीति, संपार्श्विक नीति और ऋण नीतियों के बारे में विवरण और जानकारी मांगी गई।

4. 2 मई 2019 को, ईओडब्ल्यू, पिंपरी-चिंचवाड़ के पुलिस निरीक्षक द्वारा सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों महाराष्ट्र के पंजीयक को एक पत्र संबोधित किया गया था जिसमें बैंक की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति मांगी गई थी। 9 मई 2019 के एक पत्र द्वारा, सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक ने संयुक्त पंजीयक (लेखा परीक्षा) से जांच करने और ईओडब्ल्यू द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एक जांच की गई और 12 जून 2019 की एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन के आधार पर, अपीलार्थी ने निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति मांगी। 16 जून 2019 को, संयुक्त पंजीयक ने अपीलार्थी को निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की। अपीलार्थी के अनुसार, रिपोर्ट ने संकेत दिया कि ऋण उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिए गए थे जो पात्र या ऋण योग्य नहीं थे और उन्हें उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था जिनके लिए उनका लाभ उठाया गया था; और धन का गबन किया गया और दुरुपयोग किया गया। यह आरोप लगाया गया है कि बैंक ने ऋण की वसूली के लिए कदम नहीं उठाए और बड़ी संख्या में खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया।

2 "1960 अधिनियम "3" ईओडब्ल्यू "

301

धनराज एन. आसवानी बनाम अमरजीत सिंह मोहिंदर सिंह बेसी और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

6. 19 जुलाई 2019 को, अपीलार्थी ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 420, 406, 409, 465, 467, 468 और 471 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए पहले और दूसरे उत्तरदाताओं के खिलाफ पी. एस. पिंपरी, पिंपरी-चिंचवाड़ में 2019 की एफ. आई. आर. संख्या 806 दर्ज की। एफ. आई. आर. का सार संयुक्त पंजीयक (लेखा परीक्षा) द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित था जिसमें कथित रूप से बैंक के अधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं का संकेत दिया गया था।

7. एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों द्वारा उच्च न्यायालय का रुख किया गया था। उच्च न्यायालय ने 16 नवंबर 2021 के अपने विवादित फैसले से याचिका को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 81 (5 बी) में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पंजीयक की अनुमति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान हैं। इसने अभिनिर्धारित किया कि यदि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 4 के सामान्य प्रावधानों को लागू करना है तो इन प्रावधानों को अनुचित माना जाएगा और इसलिए बाद वाले को 1960 के अधिनियम के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां अपराध करने के संबंध में आरोप पूरी तरह से एक लेखापरीक्षा पर आधारित हैं जो धारा 81 के तहत आयोजित की गई है, वहां धारा 81 (5 बी) में निर्धारित आकस्मिक प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एफ. आई. आर. धारा 81 (3) (सी) के तहत नियुक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित थी और इसलिए अपीलार्थी के लिए इस सामान्य सिद्धांत पर पीछे हटना संभव नहीं था कि आपराधिक कानून किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है, जिस पर पुलिस वैधानिक निषेध के बिना एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए बाध्य है।

8. हमने अपीलार्थी के वकील श्री प्रशांत श्रीकांत केंजाले और प्रतिवादियों के वकील श्री शांतनु फांसे के साथ वरिष्ठ वकील श्री वी गिरी और श्री दीपक नारगोलकर को सुना है। हस्तक्षेप करने वाले की ओर से वरिष्ठ वकील श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी और

वकील श्री सुनील फर्नांडीस पेश हुए। 9. इस न्यायालय द्वारा इन कार्यवाहियों में 29 अप्रैल 2022 को नोटिस जारी किया गया था क्योंकि 1960 के अधिनियम की धारा 81 (5 बी) के प्रावधानों की व्याख्या शामिल है।

10. 1960 का अधिनियम महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन के व्यवस्थित विकास के लिए लागू किया गया था। 1960 के अधिनियम के अध्याय VIII में 'लेखापरीक्षा, जांच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण' का प्रावधान है। धारा 81 सोसायटी को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अपने खातों का लेखा-परीक्षण कराने का आदेश देती है।

4 "सीआरपीसी "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

वर्ष पंजीयक द्वारा तैयार और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से एक लेखा परीक्षक द्वारा धारा 81 (1) (ए) का पहला प्रावधान पंजीयक को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के एक पैनल द्वारा किसी सोसायटी के खातों का ऑडिट करने या ऑडिट कराने का अधिकार देता है। धारा 81 (3) में कहा गया है कि पंजीयक या अधिकृत व्यक्ति को लेखा परीक्षा के उद्देश्य से हर समय सहकारी समिति से संबंधित या उसकी अभिरक्षा में रखी गई पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, कागजातों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य संपत्तियों तक पहुंच होगी। धारा 81 (3) (सी) पंजीयक या सहकारी समिति के खातों का परीक्षण लेखा परीक्षा करने या कराने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को सशक्त बनाती है। धारा 81 (5 बी) लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद लेखा परीक्षक या पंजीयक द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों का विवरण देती है: "81(5 ख) लेखा परीक्षक अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट उसके पूरा होने के एक महीने के भीतर और किसी भी मामले में सोसायटी और पंजीयक को वार्षिक आम सभा की सूचना जारी करने से पहले ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जो पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, उसके द्वारा जांचे गए खातों पर और उस तारीख तक और उस अवधि के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते पर जिसमें खातों का लेखापरीक्षा की गई है, और बताएगा कि क्या उसकी राय में और उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सोसाइटी द्वारा उसे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त खाते इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक सभी जानकारी देते हैं और सोसाइटी के वित्तीय लेनदेन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

बशर्ते कि, जहां लेखा परीक्षक अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि कोई भी व्यक्ति खातों या किसी अन्य अपराध से संबंधित किसी भी अपराध का दोषी है, तो वह अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पंजीयक को एक विशिष्ट रिपोर्ट देगा। संबंधित लेखा परीक्षक, पंजीयक की लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। लेखा परीक्षक, जो निर्णय लेने में विफल रहता है

प्रथम सूचना रिपोर्ट, अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नाम लेखा परीक्षकों के पैनल से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा और वह किसी अन्य कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा जैसा कि पंजीयक सोच सकता है:

बशर्ते कि, जब यह पंजीयक के ध्यान में लाया जाता है कि लेखा परीक्षक ऊपर निर्दिष्ट कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा है, तो पंजीयक उस ओर से अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के नेतृत्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट का कारण बनेगा:

303

धनराज एन. आसवानी बनाम अमरजीत सिंह मोहिंदर सिंह बेसी और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 304

परन्तु यह भी कि यदि लेखा परीक्षक अपने लेखापरीक्षा के समापन पर यह निष्कर्ष निकालता है कि समिति के किसी सदस्य या समिति के अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसायटी को हुए नुकसान के परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितताओं के स्पष्ट उदाहरण हैं, तो वह एक विशेष रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ पंजीयक को प्रस्तुत करेगा। ऐसी विशेष रिपोर्ट देने में विफलता, लेखा परीक्षक के कर्तव्यों में लापरवाही होगी और वह लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति या किसी अन्य कार्रवाई के लिए अयोग्य ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि पंजीयक सोच सकता है।"

(जोर दिया गया) 11। धारा 81 (5 बी) के तहत, लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह उनके द्वारा जांचे गए खातों पर और तुलनपत्र और लाभ और हानि खाते पर सोसायटी और पंजीयक को विधिवत हस्ताक्षरित एक लेखा परीक्षा ज्ञापन प्रस्तुत करे। लेखा परीक्षक को यह बताना होगा कि क्या उनकी राय में खाते 1960 के अधिनियम द्वारा या उसके तहत सभी जानकारी देते हैं और समाज के वित्तीय लेनदेन का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। धारा 81 (5 बी) के प्रथम परंतुक के संदर्भ

में, जब लेखा परीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि कोई व्यक्ति खातों से संबंधित किसी भी अपराध या किसी अन्य अपराध के लिए दोषी है, तो वे पंजीयक को एक विशिष्ट सी रिपोर्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। इसके बाद लेखा परीक्षक को पंजीयक की लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता होती है। दूसरा परंतुक यह निर्धारित करता है कि जब यह पंजीयक के ध्यान में लाया जाता है कि लेखा परीक्षक पहले परंतुक में निर्दिष्ट कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा है, तो पंजीयक उस ओर से उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के नेतृत्व में एक प्राथमिकी दर्ज कराएगा। तीसरे परंतुक के संदर्भ में, यदि पंजीयक वित्तीय अनियमितताओं के स्पष्ट उदाहरणों को समिति के किसी सदस्य या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर सोसायटी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसे अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा।

12. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वर्तमान मामले में बैंक की शिकायतों के संबंध में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। इसमें 11 और 12 अगस्त 2021 की तीन एफ. आई. आर., 202 की एफ. आई. आर. संख्या 525,526 और 527 शामिल हैं, जो लेखा परीक्षक द्वारा दर्ज की गई थीं। ये प्राथमिकियां 6 अगस्त 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तुरंत बाद दर्ज की गई थीं। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य होगा कि अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले 19 जुलाई 2019 को दर्ज की गई थी। संकीर्ण मुद्दा जो वर्तमान अपील में विचार के लिए आता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

यह है कि क्या धारा 81 (5 बी) के प्रावधानों को सोसायटी के एक शेयरधारक जैसे कि अपीलार्थी, जो एक पूर्व निदेशक भी था, को स्वतंत्र रूप से आपराधिक कानून को लागू करने से रोकने के रूप में माना जा सकता है।

13. प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्राथमिकी की स्थापना, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित है, धारा 81 (5 बी) का उल्लंघन है। यह तर्क दिया जाता है कि केवल लेखा परीक्षक या पंजीयक को धारा 81 (5 बी) के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार है। उत्तरदाताओं के तर्क का सार यह है कि धारा 81 (5 बी) के तहत निर्धारित प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया है, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 पर प्रबल होगी। अपनी प्रस्तुति को मजबूत करने के लिए, उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है

जीवन कुमार राउत बनाम सी. बी. आई. 5 और जमीरुद्दीन अंसारी बनाम सी. बी. आई. 6.

14. उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि 1960 के अधिनियम के प्रावधान इस मायने में विशेष हैं कि वे राज्य में सहकारी समितियों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए धारा 81 (5 बी) के प्रावधान किसी व्यक्ति के कहने पर प्राथमिकी दर्ज करने से रोकेंगे, जैसे कि अपीलकर्ता, जो सहकारी समिति का शेयरधारक है। हम उच्च न्यायालय के विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ से 1960 का अधिनियम लेखा परीक्षक या पंजीयक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक कानून को लागू करने से रोकता है।

15. सी. आर. पी. सी. की धारा 4 में प्रावधान है कि आई. पी. सी. के तहत सभी मामलों की जांच, पूछताछ और सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। धारा 4 (2) उन स्थितियों में सी. आर. पी. सी. के अनुप्रयोग की संरचना करती है जहां किसी विशेष अधिनियम के तहत एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। 7 धारा 4 का सार नीचे दिया गया है:

4. भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।—

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत सभी मामलों की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा इसके बाद के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

(2) किसी भी अन्य कानून के तहत सभी मामलों की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, लेकिन उस समय के लिए किसी भी अधिनियम के अधीन जो कानून को विनियमित करता है।

7 पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह, (1994) 3 एस. सी. सी. 299; प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन, (1994) 3 एस. सी. सी. 440 305 देखें।

धनराज एन. आसवानी बनाम अमरजीत सिंह मोहिंदर सिंह बेसी और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

जांच करने, पूछताछ करने, प्रयास करने या अन्यथा ऐसे अपराधों से निपटने का तरीका या स्थान।

16. धारा 4 (2) में कहा गया है कि आई. पी. सी. के प्रावधान आई. पी. सी. के अलावा किसी भी अन्य कानून के तहत सभी मामलों पर लागू होंगे। हालांकि, सी. आर. पी. सी. के आवेदन को केवल तभी बाहर रखा जाएगा जब एक विशेष कानून जांच, जांच या विशेष अपराध के मुकदमे से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, मिर्जा इकबाल हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 8 में इस न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए कहा गया था कि क्या निचली अदालत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत अपराध स्वीकार करने का आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सी. आर. पी. सी. के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में विश्वासघात का प्रावधान नहीं है या ऐसा कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है जिसके द्वारा विश्वासघात का आदेश दिया जा सके। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 को ध्यान में रखते हुए अपराध स्वीकार करने का आदेश पारित करने का अधिकार था। यह निर्धारित करने में कि क्या एक विशेष प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित सामान्य प्रक्रिया को ओवरराइड करेगी, अदालतों को यह पता लगाना होगा कि क्या विशेष कानून दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुप्रयोग को या तो विशिष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से बाहर करता है।

17. सी. आर. पी. सी. मूल कानून के संदर्भ में अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने के अंतिम उद्देश्य के साथ जांच, जांच और परीक्षण करने की विधि प्रदान करता है। आपराधिक कार्यवाही तब शुरू होती है जब पुलिस या मजिस्ट्रेट को अपराध की सूचना दी जाती है। सी. आर. पी. सी. की धारा 154 में संज्ञेय अपराध के संबंध में पहली जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि संज्ञेय अपराध करने से संबंधित कोई भी जानकारी यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उनके द्वारा या उनके निर्देश के तहत लिखित रूप में दी जाएगी। सूचना देने वाले द्वारा दी गई जानकारी को एफ. आई. आर. के रूप में जाना जाता है। 9.

18. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 10 में एक संविधान पीठ

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सूचना देने वाले के दृष्टिकोण से एक एफ. आई. आर. का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कानून को गति में लाना है और

8 (1982) 3 एस. सी. सी. 516

9 टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य, (2001) 6 एससीसी 181 10 (2014) 2 एससीसी 1

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

जाँच अधिकारीसभक विचार कथित आपराधिक गतिविधिक जानकारी प्राप्त करब अछि जाहि सँ दोषीकेँ पता लगाबय आ सजा देबाक लेल उचित कदम उठावल जा सकय। दोषियों को पकड़ने और दंडित करने के लिए जनता के हित में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है। 11 यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी वैधानिक प्रावधान में निहित एक विशिष्ट बार या अपवाद के अभाव में, किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक कानून को लागू किया जा सकता है। 12

19. ए आर अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक में, 13 ए संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता के स्थान की अवधारणा को आपराधिक न्यायशास्त्र में मान्यता नहीं दी गई है, सिवाय उन स्थितियों के जहां कानून शिकायतकर्ता की पात्रता के लिए प्रावधान करता है। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक

कार्यवाही शुरू करने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोषियों को दंडित करना समाज के हित में है: “लगभग सार्वभौमिक अनुप्रयोग का यह सामान्य सिद्धांत इस नीति पर आधारित है कि कुछ समय के लिए किसी भी कानून द्वारा दंडनीय कोई कार्य या चूक (धारा 2 (एन) सी. आर. पी. सी. देखें) केवल उस व्यक्ति के संबंध में किया गया अपराध नहीं है जो नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज के खिलाफ भी है। समाज अपने व्यवस्थित और शांतिपूर्ण विकास के लिए अपराधी की सजा में रुचि रखता है। इसलिए, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के नाम पर गंभीर अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें निजी प्रतिशोध या प्रतिशोध के किसी भी तत्व को शामिल नहीं किया जाता है। यदि दंडात्मक कानूनों में अंतर्निहित सार्वजनिक नीति ऐसी है, जो कानून द्वारा दंडनीय बनाए गए किसी कार्य या चूक को उससे निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाती है, तो यह महत्वहीन और अप्रासंगिक है जब तक कि कानून यह इंगित नहीं करता है कि -

इसके विपरीत समाज की भलाई के लिए अधिनियमित दंडात्मक कानूनों के पीछे के उद्देश्यों में से एक होने के कारण समाज के हित में अपराधी को दंडित करना, कार्यवाही शुरू करने के अधिकार को आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए अज्ञात लोकस स्टैंड के एक स्ट्रेट-जैकेट सूत्र में डालकर कम नहीं किया जा सकता है, सीमित नहीं किया जा सकता है या बाधित नहीं किया जा सकता है, सिवाय विशिष्ट गैर वैधानिक अपवाद के।”

(जोर दिया गया) 20।1960 का अधिनियम महाराष्ट्र में सहकारी समितियों को संचालित करने के लिए अधिनियमित एक विशेष कानून है। 1960 के अधिनियम की धारा 81 में सार्वजनिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है -

11 शीओनानंदन पासवान बनाम बिहार राज्य, (1987) 1 एस. सी. सी. 288 12 रतनलाल बनाम प्रह्लाद जाट, (2017) 9 एस. सी. सी. 340

13 (1984) 2 एस. सी. सी. 500 307

धनराज एन. आसवानी बनाम अमरजीत सिंह मोहिंदर सिंह बेसी और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 308

सहकारी समितियों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक और पंजीयक। इस उद्देश्य के अनुसरण में, धारा 81 (5 बी) उन्हें किसी सहकारी समिति की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किसी भी वित्तीय अनियमितता का पता चलने पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य करती है। उक्त प्रावधान के अनुसार, जब लेखा परीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई भी व्यक्ति खातों या किसी अन्य अपराध से संबंधित अपराध का दोषी है, तो उन्हें पंजीयक को एक विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया जाता है। जहां लेखा परीक्षक ऐसा करने में विफल रहा है, वहां पंजीयक को उस ओर से उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के नेतृत्व में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है। लेखा परीक्षक और पंजीयक पर वैधानिक दायित्व डाला जाता है क्योंकि वे लेखा परीक्षा आयोजित करने के दौरान एक सहकारी समिति में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। चूंकि केवल लेखा परीक्षक और पंजीयक को इस तरह की अनियमितता की जानकारी होती है, इसलिए 1960 का अधिनियम उन्हें वित्तीय अनियमितता के बारे में जानकारी पुलिस के संज्ञान में लाने के लिए बाध्य करता है।

21. प्रत्यर्थियों ने जमीरुद्दीन अंसारी (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि 1960 का अधिनियम, एक विशेष कानून होने के नाते, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर हावी होगा। जमीरुद्दीन अंसारी (ऊपर) में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 14 की धारा 23 (2) में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के आवेदन को शामिल नहीं किया गया है। मकोका संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोहों द्वारा अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक विशेष कानून है। एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 23 एक गैर-अस्थायी खंड से शुरू होती है। धारा 23 (2) में प्रावधान है कि विशेष न्यायाधीश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से कम के पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना मकोका के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। संबंधित खंड नीचे निकाला गया है:

23. (1) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, -

(क) इस अधिनियम के तहत संगठित अपराध के अपराध के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना दर्ज नहीं की जाएगी;

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध की कोई जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

(2) कोई भी विशेष न्यायालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से कम के पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

22. जमीरुद्दीन अंसारी (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मकोका के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर हावी होंगे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक विशेष न्यायाधीश को एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना एक अलग जांच का आदेश देने से रोक दिया गया है: 67. हम यह भी मानते हैं कि मकोका की धारा 25 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों का दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर एक ओवरराइडिंग प्रभाव होगा और इसलिए, विद्वान विशेष न्यायाधीश मकोका की धारा 23 में बताए गए मार्ग को पार किए बिना, एक निजी शिकायत पर विशेष जांच का आदेश देने और उस पर संज्ञान लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के प्रावधानों को लागू करने का हकदार नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मकोका के तहत संगठित अपराध के अपराध के बारे में एक निजी शिकायत पर भी विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 23 की उप-धारा (1) के उचित अनुपालन के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, जो एक गैर-बाधा खंड से शुरू होता है।

23. एम. सी. ओ. सी. ए. के कड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, धारा 23 एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करती है कि एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत कथित अपराध की कोई भी जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना दर्ज नहीं की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की जा सकती है। धारा 23 (2) में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से कम के पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना एक विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेने के खिलाफ एक विशिष्ट बार शामिल है। रंगू दत्ता बनाम असम राज्य, 15 में इस न्यायालय ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987, 16 की धारा 20-ए (2) के उद्देश्य की व्याख्या की, जो मकोका की धारा 23 के समान थी। टाडा की धारा 20-ए नीचे दी गई है:

“ 20-अपराध का A.Cognizance।— (1) किसी भी बात के बावजूद

संहिता में निहित, आयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं

15 (2011) 6 एस. सी. सी. 358 16 "टाडा"

309

धनराज एन. आसवानी बनाम अमरजीत सिंह मोहिंदर सिंह बेसी और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 310

इस अधिनियम के तहत अपराध जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा दर्ज किया जाएगा।

(2) कोई भी अदालत पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।"

इस न्यायालय ने माना कि उपरोक्त प्रावधान दो कारणों से अनिवार्य था: सबसे पहले, यह एक ओवरराइडिंग खंड के साथ शुरू हुआ; और दूसरा, इसने अपनी अनिवार्य प्रकृति पर जोर देने के लिए "नहीं" अभिव्यक्ति का उपयोग किया। न्यायालय ने कहा कि नकारात्मक शब्द "नहीं" का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि प्रावधान को अनिवार्य माना जाए।

24. अधिनियम की धारा 81 (5 बी) लेखा परीक्षक या पंजीयक पर प्राथमिकी दर्ज करने का सकारात्मक दायित्व डालती है। यह लेखा परीक्षक या पंजीयक के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्राथमिकी दर्ज करने से रोकने के लिए किसी भी नकारात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना वैधानिक निर्माण के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत होगा कि धारा 81 (5 बी) लेखा परीक्षक या पंजीयक के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्राथमिकी दर्ज करने से रोकती है। जमीरुद्दीन अंसारी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले में लागू वैधानिक प्रावधान से अलग कानून के प्रावधान पर आधारित है।

25. प्रतिवादी द्वारा जीवन कुमार राउत (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए और अधिक भरोसा रखा गया है कि धारा 81 (5 बी) लेखा परीक्षक या पंजीयक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक निहितार्थ से प्राथमिकी दर्ज करने से रोकती है। उस मामले में, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994-17 के प्रावधान चूक जमानत देने से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के लागू होने पर रोक लगाते हैं। टी. ओ. एच. ओ. अधिनियम की धारा 22 एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर अदालतों द्वारा संज्ञान लेने पर रोक लगाती है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि टी. ओ. एच. ओ. अधिनियम एक विशेष कानून है और जहां तक दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के बीच कोई टकराव है, वह सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों को ओवरराइड करेगा। अदालत ने आगे कहा कि सी. बी. आई. के नेतृत्व में पुलिस रिपोर्ट को केवल टी. ओ. एच. ओ. अधिनियम की धारा 22 के तहत एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत याचिका के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (2) के संदर्भ में एक पुलिस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

17 "टोहो अधिनियम "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

आवश्यक निहितार्थ द्वारा निषिद्ध किया जाना। चूंकि सी. बी. आई. धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकी, इसलिए सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) को भी लागू नहीं माना गया।

26. आवश्यक निहितार्थ द्वारा बहिष्करण का अनुमान भाषा और कानून के इरादे से लगाया जा सकता है। 18 जीवन कुमार राउत (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कानून के शब्दों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच की समग्र योजना को देखा ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि टी. ओ. एच. ओ. अधिनियम की धारा 22 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) को आवश्यक निहितार्थ से लागू करने से रोकती है। वर्तमान मामले में, 1960 का अधिनियम लेखा परीक्षक या पंजीयक पर एक सकारात्मक दायित्व डालता है कि जब वे एक सहकारी समिति में वित्तीय अनियमितता का पता लगाते हैं तो एक प्राथमिकी दर्ज करें। धारा 81 (5 बी) लेखा परीक्षक और पंजीयक से अपने सार्वजनिक कर्तव्य के पालन में जवाबदेही और सतर्कता की मांग करती है। इसके अलावा, उक्त प्रावधान के एक सादे अध्ययन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि विधायिका लेखा परीक्षक या पंजीयक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्राथमिकी दर्ज करने से रोकने का इरादा रखती है। धारा 81 (5 बी) की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि कोई अन्य व्यक्ति जिसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय अनियमितता के बारे में पता चलता है, उसे पुलिस को अनियमितता की सूचना देने से प्रतिबंधित किया जाता है। किसी भी विशिष्ट प्रावधान या आवश्यक इरादे के अभाव में, इस तरह का निष्कर्ष समाज के हितों के खिलाफ होगा। यदि सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं की सूचना पुलिस को दी जाती है, तो समाज के हितों की रक्षा की जाएगी, जो बाद में अपराधों की जांच करने और समाज के सदस्यों के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि 1960 के अधिनियम की धारा 81 (5 बी) लेखा परीक्षक या पंजीयक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक निहितार्थ से आपराधिक कानून को लागू करने से रोकती है।

27. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियों के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि 31 मई 2021 को सहकारी विभाग के प्रभारी मंत्री ने 2016-2017 और 2017-2018 के लिए एक नई लेखा परीक्षा रिपोर्ट का निर्देश देते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अलग कर दिया है। मंत्री के आदेश पर उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र कार्यवाही में सवाल उठाया गया है। इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही की सुनवाई की जा रही है। जिन कार्यवाही को चुनौती देने के लिए शुरू किया गया है

18 भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण, (2001) 8 एस. सी. सी. 470 311

धनराज एन. आसवानी बनाम अमरजीत सिंह मोहिंदर सिंह बेसी और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 312

मंत्री के आदेश का इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि क्या अपीलार्थी के नेतृत्व में दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा की गई जांच को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। पुलिस के पास एक स्वतंत्र शक्ति है और यहां तक कि सी. आर. पी. सी. के तहत कर्तव्य भी है कि एक बार जब उनके ध्यान में सूचना खींची जाती है तो एक बार जब पुलिस के ध्यान में सूचना आती है तो वह जांच कर

सकती है। 1960 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा इस शक्ति में कटौती नहीं की गई है। कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है और धारा 81 (5 बी) के प्रावधान आवश्यक निहितार्थ से सीआरपीसी के तहत पुलिस की जांच भूमिका को बाहर नहीं करते हैं।

28. उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 19 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उस मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कर सकता है जहां संस्था और कार्यवाही के जारी रहने के संबंध में एक विशेष कानून के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी बाधा है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 81 (5 बी) में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कानून को लागू करने के लिए कोई स्पष्ट या निहित प्रतिबंध नहीं है।

29. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने में गलती की है। यह सही है कि एफ. आई. आर. सहकारी समिति के संबंध में किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित है। हालांकि, एक बार आपराधिक कानून लागू हो जाने के बाद, यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह कथित अपराध की जांच करे। इस प्रक्रिया को उप-धारा (5 बी) के प्रावधानों पर भरोसा करके बाधित नहीं किया जा सकता है जो लेखा परीक्षक पर पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कर्तव्य डालता है। 30. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 16 नवंबर 2021 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, अर्थात् 19 जुलाई 2019 की 2019 की प्राथमिकी संख्या 806 को रद्द कर दिया गया है।

31. हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि मंत्री के आदेश को चुनौती देने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही शुरू की गई है, वह वर्तमान आदेश से प्रभावित नहीं होगी।

32. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

19 (1992) सप्लीमेंट (1) एससीसी 335

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

33. हस्तक्षेप/अभियोग के लिए आवेदनों की अनुमति है। 34. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

2022 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 2246

35. विशेष अनुमति याचिका का निपटारा पारित आदेश के संदर्भ में किया जाता है।

धनराज एन असवानी बनाम अमरजीत सिंह मोहिंदर सिंह मामले में इस अदालत द्वारा

बसी और अन्य **[2023 की आपराधिक अपील संख्या 2093]**।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई और एसएलपी का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान